

राजस्थान सरकार
सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग
आई.टी. भवन, योजना भवन, तिलक मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर-302005
 क्रमांक एफ2(6579)सूप्रौ/संस्था/15/03096/2021 जयपुर, दिनांक 01/05/2021

अनापत्ति प्रमाण पत्र

राजस्थान कम्प्यूटर अधीनस्थ सेवा के विभिन्न विभागों में कार्यरत/पदस्थापित सूचना सहायकों को निम्नलिखित परीक्षाओं में पत्राचार/स्वयंपाठी/दूरस्थ माध्यम से सम्मिलित होने की स्थिति इस विभाग को कोई आपत्ति नहीं है:-

क. स.	मेरिट न.	नाम	पदस्थापित विभाग	कोर्स का नाम	विश्वविद्यालय का नाम
1	491	श्री धीरज शर्मा, सूचना सहायक	कार्यालय जिला परिवहन अधिकारी (कर संग्रहण केन्द्र), परिवहन विभाग हनुमानगढ़।	MCA 3rd Year	Jaipur National University, Jaipur
2	2496	श्री गुरुसेवक सिंह, सूचना सहायक	कार्यालय तहसीलदार राजस्व, रावतसर जिला हनुमानगढ़।	MCA 3rd Year	Jaipur National University, Jaipur
3	New 1A Batch 2018	श्री भूपेन्द्र सिंह राठौड़, सूचना सहायक	कार्यालय डॉ.एस.एन. मेडिकल कॉलेज, जोधपुर।	MSc. Final year (CS)	Vardhman Mahaveer Open University, Kota

उक्त परीक्षाओं में सम्मिलित होने की अनुमति उक्त कार्मिकों को राजस्थान सिविल सेवाएं (आचरण) नियम, 1971 के नियम-17 की निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रदान की जाती है

1. कर्मचारियों को परीक्षा दिवसों के अतिरिक्त अन्य कोई अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
2. अध्ययन स्वीकृति/परीक्षा की अनुमति दिये जाने से अधिकारी/कर्मचारी को किसी स्थान विशेष पर पदस्थापन निरन्तर रखने का अधिकार नहीं मिल पायेगा और उसका स्थानान्तरण किया जा सकता है।
3. परीक्षा की तैयारी हेतु किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
4. प्रशासनिक कारणवश स्वीकृति बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त की जा सकती है।
5. उक्त शर्तों की अवहेलना करने या पाई जाने पर कार्मिक/कार्मिका के विरुद्ध कार्मिक विभाग के परिपत्र क्रमांक प.9(5)(9)/कार्मिक/क-3/2001 दिनांक 16 मई 2002 के अनुसार वृहत शास्ति हेतु अनुशासनात्मक कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।

कार्मिकों को यह भी निर्देशित किया जाता है कि वे भविष्य में किसी भी प्रकार के अध्ययन पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने से पूर्व विभागीय स्वीकृति प्राप्त करें।

sd/-
 (विवेक कुमार)
 विशेषाधिकारी (यूआई.डी) एवं
 प्रभारी अधिकारी संस्थापन (अराजपत्रित)

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. सम्बंधित विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष.....।
2. संबधित कर्मचारी.....।
3. संबधित निजी/रक्षित पत्रावली।
4. प्रभारी अधिकारी, वेबसाइट, सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग, जयपुर को अपलोड करने हेतु।

विशेषाधिकारी (यूआई.डी) एवं
 प्रभारी अधिकारी संस्थापन (अराजपत्रित)